मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी0डि0) उत्तरकाशी।

दीवानी पक्ष — जिला न्यायाधीश द्वारा हस्तान्तरित वादो का विचारण
क्षेत्रीय अधिकारिता — सम्पूर्ण उत्तरकाशी जनपद
फौजदारी पक्ष

1. भा0द0सं0 के अर्न्तगत 7 साल की सजा तक के का विचारण वादो का
2. आर्थिक अपराधो से सम्बन्धित वाद
3. उत्तर प्रदेश शहरी भवन (नियंत्रण किराया और बेदखली) अधिनियम 1972 के अर्न्तगत विहित प्राधिकारी
4. खाघ अपमिश्रण अधिनियम के वादो का विचारण
5. खनन अधिनियम के वाद
6. भरण पोषण सम्बन्धी वाद
7. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में कर्मकार प्रतिकर वाद

सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी

दीवानी पक्ष —

1. एक लाख तक मूल्यांकन के दीवानी वादो का विचारण
2. लधुवाद पॉच हजार तक के वादो का

क्षेत्रीय अधिकारिता — तहसील भटवाडी, डुण्डा व चिन्यालीसौड के समस्त दीवानी वादो एवं लधुवाद

फौजदारी पक्ष —

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्राधिकार थाना मनेरी एवं राजस्व क्षेत्र तहसील भटवाडी के समस्त फौजदारी वाद तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी द्वारा समय–समय पर हस्तान्तरित वादों का विचारण
2. भा0द0सं0 के अन्तर्गत 3 साल की सजा तक के वादों का विचारण
3. सम्पूर्ण जनपद के किशोर न्याय बोर्ड से सम्बन्धित वाद
4. किराया नियन्त्रण वाद

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरोला

दीवानी पक्ष — 1. एक लाख तक के दीवानी वदों के मल्यांकन तक का विचारण

2. लघुवाद पांच हजार तक के वादों का विचारण

क्षेत्रीय अधिकारिता — तहसील पुरोला, बडकोट तथा मोरी के समस्त दीवानी एवं लघुवाद

फौजदारी पक्ष — 1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उत्तरकाशी द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्राधिकार थाना पुरोला, तहसील मोरी व बडकोट के पुलिस चालानी वाद, तहसील पुरोला, मोरी व बडकोट के परिवाद तथा अन्तर्गत धारा–125 दं0प्र0सं0 के तहसील पुरोला, मोरी व बडकोट के वादों का विचारण

1. भा0द0सं0 के अन्तर्गत 3 साल की सजा तक के वादों का विचारण

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराया नियंत्रण और बेदखली) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी किराया नियंत्रण वाद

न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी —

क्षेत्रीय अधिकारिता — 1. थाना हर्षिल

फौजदारी पक्ष 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उत्तरकाशी द्वारा हस्तान्तरित, क्षेत्राधिकार थाना हर्षिल के पुलिस चालानी वाद, तथा परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा–125 दं0प्र0सं0 के वादों का विचारण

1. भा0द0सं0 के अन्तर्गत 3 साल की सजा तक के वादों का विचारण

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बडकोट

दीवानी पक्ष 1. एक लाख तक के दीवानी वदों के मल्यांकन तक का विचारण

2. लघुवाद पांच हजार तक के वादों का विचारण

क्षेत्रीय अधिकारिता तहसील बडकोट के समस्त दीवानी एवं लघुवाद

फौजदारी पक्ष	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उत्तरकाशी द्वारा हस्तान्तरित, क्षेत्राधिकार थाना बडकोट, तहसील बडकोट के पुलिस चालानी वाद, तहसील बडकोट के परिवाद तथा अन्तर्गत धारा–125 दं0प्र0सं0 के तहसील बडकोट के वादों का विचारण
	1. भा0द0सं0 के अन्तर्गत 3 साल की सजा तक के वादों का विचारण